नई घोषणायें–

- ❖ वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को अब 400 रूपये की जगह प्रतिमाह 1100 रूपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का सीधे उनके खाते में हस्तांतरण। इससे समाज के अंतिम पायदान के लोगों का जीवन–यापन सम्मानजनक तरीके से हो सकेगा।

- ❖ महिलाओं के हित में एक अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। महिलाओं के रोजगार के लिये एक नई योजना 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10 हजार रूपये की राशि प्रथम किश्त के रूप में दी जायेगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुये 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जायेगी।

- ❖ अगले 5 साल (2025 से 2030) में वर्ष 2020–25 के लक्ष्य को दोगुणा करते हुये एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित। राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिये राज्य सरकार संकल्पित है।

- ❖ 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त। राज्य के कुल 1 करोड़ 89 लाख परिवार लाभान्वित। अब लगभग बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिल रही है।

- ❖ मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु 12वीं पास प्रशिक्षित युवाओं को 4 हजार रूपये, आई0टी0आई0 या डिप्लोमा पास युवाओं को 5 हजार रूपये एवं स्नातक या स्नातकोत्तर इंटर्नशिप पास करने वाले युवाओं को मासिक 6 हजार रूपये की राशि प्रदान करने की मंजूरी। राज्य के एक लाख युवाओं को 2025–26 से 2030–31 तक विभिन्न संस्थानों में इंटर्नशिप कराने का निर्णय। इससे राज्य के युवा आत्मनिर्भर एवं दक्ष होंगे तथा उन्हें रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे।

- ❖ जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को तीन लाख रूपये से ज्यादा के बैंक ऋण पर अब सिर्फ 7 प्रतिशत ब्याज देना होगा। स्वयं सहायता समूहों को पहले तीन लाख से ज्यादा के बैंक ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था। अब ब्याज दर घटने के बाद ब्याज के रूप में दी जाने वाली अतिरिक्त राशि सरकार की ओर से दी जायेगी। इससे जीविका दीदियों की आमदनी बढ़ेगी तथा उनके जीवन स्तर में और सुधार होगा।

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिय विवाह भवन का निर्माण कराया जायेगा। पंचायतों में विवाह भवन के निर्माण हेतु 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी फायदा होगा।

- पर्व त्योहारों के अवसर पर बिहार से बाहर रह रहे लोगों को बिहार आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुये बिहार से जुड़े अन्तर्राज्यीय मार्गों पर राज्य सरकार 299 ए0सी0 एवं नॉन ए0सी0 बसों का परिचालन कराने जा रही है। साथ ही लोक निजी भागीदारी के अन्तर्गत भी 150 अतिरिक्त ए0सी0 बसों का परिचालन कराया जायेगा। इससे पर्व त्योहारों के समय लोगों को अब बिहार आने में सहूलियत होगी और वे सुविधापूर्वक अपने घर पहुंच सकेंगे।

- राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत संरक्षित रखने में निरंतर योगदान देने वाले वरिष्ठ एवं आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों को मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत 3 हजार रूपये मासिक पेंशन राशि की स्वीकृति।

- बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त एवं सक्षम बनाने के उद्देश्य से बिहार युवा आयोग का गठन।

- अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिये जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवदेकों के लिये ब्याज रहित होगी। साथ 2 लाख रूपये तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किश्तों (5 वर्ष) की जगह अब अधिकतम 84 मासिक किश्तों (7 वर्ष) तथा 2 लाख रूपये से ऊपर ऋण राशि को 84 मासिक किश्तों (7 वर्ष) से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक किश्तों (10 वर्ष) में वापस करने का प्रावधान किया गया है। इन सुविधाओं से छात्रों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार करते हुये अब इसका लाभ कला, विज्ञान एवं वाणिज्य उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगार युवक/युवतियों को भी दिये जाने का निर्णय लिया गया है। 20–25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक बरोजगार युवक/युवती जो कहीं अध्ययनरत नहीं हैं तथा नौकरी/रोजगार हेतु प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई स्वरोजगार नहीं है अथवा सरकारी, निजी, गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, को भी 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जायेगा। राज्य की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले।

- बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने का निर्णय। इससे राज्य में महिलाओं की और सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित होगी।

- शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी जिन शिक्षकों की समस्या है, उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त कर उनका पदस्थापन किया जायेगा। शिक्षकगण बच्चों के भविष्य के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं।

- बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिये बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन।

- लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6 हजार रूपये की जगह 15 हजार रूपये पेंशन की राशि स्वीकृत। पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति/पत्नी को जीवन पर्यन्त 3 हजार रूपये की जगह 10 हजार रूपये की पेंशन राशि।

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुये आशा कार्यकर्ताओं को अब एक हजार रूपये की जगह 3 हजार रूपये तथा ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रूपये की जगह 600 रूपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें और मजबूत होंगी।

- शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइयों, रात्रि प्रहरियों तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में भारी वृद्धि। मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुणी वृद्धि करते हुये 1650 रूपये से 3300 रूपये, माध्यमिक/उच्च विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5 हजार रूपये से दोगुणा करते हुये 10 हजार रूपये तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8 हजार रूपये से दोगुणा करते हुये अब 16 हजार रूपये कर दिया गया है। इससे कार्यरत कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से कार्य करेंगे।

- वर्ष 2025 में **TRE-4** एवं वर्ष 2026 में **TRE-5** का आयोजन किया जायेगा। **TRE-5** के आयोजन के पूर्व **STET** का आयोजन करने का भी निदेश। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों **(DOMICILE)** को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश। यह **TRE-4** से ही लागू किया जायेगा।

- ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत कार्यरत अंशकालिक कर्मियों एवं संविदा आधारित कर्मियों के मानदेय में वृद्धि। स्वच्छता कर्मियों का मासिक मानदेय 3 हजार रूपये से 5 हजार रूपये एवं स्वच्छता पर्यवेक्षकों का मानदेय 7500 रूपये से बढ़ाकर 9 हजार रूपये किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण आवास सहायक का मासिक मानदेय 16,540 रूपये से बढ़ाकर 19,675 रूपये, प्रखण्ड लेखापाल का मानदेय 21,183 रूपये से बढ़ाकर 25,229 रूपये, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का मानदेय 26,252 रूपये से बढ़ाकर 30,502 रूपये एवं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी का मानदेय 1,07,220 रूपये से बढ़ाकर 1,16,742 रूपये किया गया है। इस मानदेय वृद्धि से संविदा कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा एवं उनके परिवारों को लाभ होगा।

- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता के लिये कार्य कर रहे राज्य स्तर पर कार्यरत सलाहकारों, परियोजना प्रबंधक, राज्य वित्त प्रबंधक, जिला स्तर पर कार्यरत जिला समन्वयक एवं जिला सलाहकारों तथा प्रखण्ड स्तर पर कार्यरत प्रखण्ड समन्वयकों के मासिक मानदेय में 30 प्रतिशत बढ़ोत्तरी। इस मानदेय वृद्धि से संविदा कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा एवं उनके परिवारों को लाभ होगा।

- जगत जननी माँ सीता की जन्मभूमि पुनौराधाम के समग्र विकास के लिये तैयार की गयी वृहद योजना के लिये 882 करोड़ 87 लाख रूपये की स्वीकृति देते हुये योजना का कार्यारंभ। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या की तर्ज पर पुनौराधाम का समग्र विकास होगा। पुनौराधाम में माँ जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण सभी देशवासियों के लिये तथा विशेष रूप से हम सभी बिहारवासियों के लिये सौभाग्य एवं गर्व की बात है।

- राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद आदि) के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिये मात्र 100 रूपये का शुल्क निर्धारित। प्रारंभिक (PT) परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। इससे युवा और प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

- अब बिहार में उद्योग लगाने के लिये उद्यमियों के लिये विशेष आर्थिक पैकेज। इसके तहत :– 1. कैपिटल सब्सिडी, ब्याज (Interest) सब्सिडी तथा जी0एस0टी0 के लिये दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना। 2. उद्योग लगाने के लिये सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जायेगी तथा ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जायेगी। 3. उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जायेगा। यह सारी सुविधायें अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दी जायेंगी। इससे बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

- बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIIPP–2025) लागू। इसके तहत :– (1) 40 करोड़ रूपये तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) दी जायेगी। (2) नई इकाईयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिये की जायेगी। (3) 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) प्रदान की जायेगी। (4) निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लिये 40 लाख रूपये प्रतिवर्ष होगी। इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिये निःशुल्क भूमि आवंटित की जायेगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाईयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जायेगी। 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाईयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जायेगी। फॉर्च्यून 500 कपंनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जायेगी। इससे बिहार में उद्योगों का जाल बिछेगा और युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा।

- राज्य में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार करने में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करते हुये उनके मानदेय में वृद्धि। अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रूपये से बढ़ाकर 9,000 रूपये तथा आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रूपये से बढ़ाकर 4,500 रूपये किया गया है। इससे समेकित बाल विकास सेवायें और बेहतर होंगी।